

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
सन्जु बनाम रामेश्वर

तारीख हुक्म

139
2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर वे तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

19/12/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/12/2025 को पेश हो |

23/12/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/10/2019 पारित करते हुए तहसीलदार विराटनगर को विवादग्रस्त भूमि पर उभयपक्षों की उपस्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 के अनुसार कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी अनुपालना में तहसीलदार विराटनगर द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/02/2021 पारित कर दी गयी | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/02/2021 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है | विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है | अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/02/2021 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |